

9-1-2015

श्रीलक्ष्मी देवी / कनक शर्मा का पुत्री जी  
 संविधान में विद्यमान प्रावधान है कि इन व्यक्तियों के  
 प्रकरण संख्या 293/1996 निर्णय दिनांक 11.2.1999  
 से प्रतीकार होना चाहिए। उक्त निर्णय के  
 विपरीत माननीय राज्यपाल अपील शिकायती  
 प्रलेख पिनोड 3/6 के अपील की अति रिक्त निर्णय  
 दिनांक 21.7.2006 से इन व्यक्तियों के पक्ष के  
 निर्णय व दिनांक 11.2.1999 व 30.5.1999 को  
 विरुद्ध शिकायत करने वाली पक्षी के अर्द्ध  
 दिनांक पत्र पर निर्णय परित्याग करने के आदेश प्रदान  
 किये गये। उक्त माननीय राज्यपाल की अपील माननीय  
 राज्यपाल अपील शिकायती प्रलेख की अपील व्यक्त  
 मण्डल मद्रास में कि अति रिक्त निर्णय दिनांक  
 3.7.2019 को माननीय राज्यपाल अपील शिकायती  
 प्रलेख पिनोड 3/6 के निर्णय को समाप्त किया  
 गया। श्रीलक्ष्मी देवी का निवेदन किया कि  
 इन व्यक्तियों की दिनांक की पालना में व्यवहार

सहायक कलेक्टर  
 (उपखंड अधिकारी)  
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तारीख  
हुकम

मे इन अग्रिम बरामत के निरस्त किया  
 पाकर पूर्व स्थिति मे लाजा पूर्व स्थिति  
 अनुरोध पत्रावली का अक्षयक किया। कि  
 जब बरामत पर अतन किया। सर्वो का  
 सर्वना पत्र अतीतर किया पाकर इन  
 पत्रावली के प्रकटा संख्या 293/1996  
 अनमत उहा बरामत नामधरा के निर्णय की  
 पालना मे अक्षय केरि मे हरे परिस्तिन को  
 सिद्धी अपी लीप अक्षय को अन्वगत जा हो तो  
 पूर्व की स्थिति मे लाजा पूर्व। तदनुसार पालना  
 हो। एसावली संयम अक्षय केरि अक्षय मे  
 जा हो। आखी सूचाया गया।

N  
 सहायक कलेक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*